न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 82/2019

अनवान :

1. रूलीराम पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा।
2. सुशील कुमार पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. बहादुरसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा।
2. संतोष पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
3. चिड़िया पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
4. सरमेश पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
5. सुलोचना पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
6. रजनी पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
7. मैना पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रतनसिंह धारीवाल **: वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 17-02-2[illegible]

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 से 7 के पिता बहादुरसिंह की कृषि भूमि रोही मौजा हुणवन्तपुरा के खाता सं0 50/49 के खसरा सं0 118 में दीगर हिस्सेदार के साथ 7.3860 है0 बारानी कृषि भूमि है जिसमें अकेले प्रतिवादी सं0 1 का 194–1/2 हिस्सा अर्थात् 2.4604 है0, इसी प्रकार खाता सं0 63/62 के खसरा सं0 132 की 5.0720 है0 जिसे तालवाला के नाम से जाना जाता है तथा इसी खाता के खसरा सं0 134 में 28.0870 है0 जिसे बडे खेत के नाम से जाना जाता है, दीगर हिस्सेदारान के साथ प्रतिवादी सं0 1 अकेले के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का जन्म से ही संयुक्त रूप से 1/3–1/3 हक व हिस्सा है।

पूर्व में वाद कृषि भूमि वादीगण के दादा हजारीसिंह के नाम दर्ज थी जो बाद में हजारीसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह के साथ वादगत कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है और वादगत कृषि भूमि में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वादीगण के परदादा श्योकरण की मृत्यु के बाद उसके हक हिस्सा की भूमि वादीगण के दादा हजारीसिंह के व उसके भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर – बराबर दर्ज हो गई एवं हजारीसिंह की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की कृषि भूमि एकमात्र वारिस प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादीगण का व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ बहिस्सा बराबर जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह अकेले के नाम से तन्हा बतौर कर्ता खानदान दर्ज हो गई जो एक पीढी से दूसरी पीढी में विरासत में प्राप्त होती रही है। वर्तमान में उक्त भूमि वादीगण के दादा हजारी सिंह के पुत्र प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह के नाम दर्ज है जो वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का पिता है। प्रतिवादीया सं0 2 ता 7 वादीगण की सगी बहने है जिन्होने राजीखुशी से बिना किसी दबाव के मौखिक रूप से अपना समस्त हक हिस्सा दोनों वादीगण को बराबर बराबर बांटकर दे दिया है और अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी रूलीराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम हुणवन्तपुरा के खाता सं0 50/49 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम हुणवन्तपुरा के खाता सं0 63/62 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम हुणवन्तपुरा सम्वत् 2052 से 55 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि हजारीसिंह की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की कृषि भूमि एकमात्र वारिस प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 7 का भी हक व हिस्सा निहित है। वाद भूमि एक पीढी से दूसरी पीढी में विरासत में प्राप्त होती रही है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम हुणवन्तपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम हुणवन्तपुरा सम्वत् 2052 से 55 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा हजारीसिंह वल्द श्योकरण के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त होना व वादीगण की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी सं0 1 बहादुरसिंह के वारिसान में दो पुत्र रूलीराम, सुशीलकुमार व छः पुत्रियां संतोष, चिडिया, सरमेश, सुलोचना, रजनी, मैना होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुणवन्तपुरा के खाता सं0 50/49 के खसरा सं0 118 में दीगर हिस्सेदार के साथ 7.3860 है0 बारानी कृषि भूमि है जिसमें अकेले प्रतिवादी सं0 1 का 194–1/2 हिस्सा अर्थात् 2.4604 है0, इसी प्रकार खाता सं0 63/62 के खसरा सं0 132 की 5.0720 है0 जिसे तालवाला के नाम से जाना जाता है तथा इसी खाता के खसरा सं0 134 में 28.0870 है0 जिसे बडे खेत के नाम से जाना जाता है, दीगर हिस्सेदारान के साथ प्रतिवादी सं0 1 अकेले के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 82/2019

अनवान :

1. रूलीराम पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा।
2. सुशील कुमार पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. बहादुरसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा।
2. संतोष पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
3. चिड़िया पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
4. सरमेश पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
5. सुलोचना पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
6. रजनी पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा।
7. मैना पुत्री बहादुरसिंह जाति जाट निवासी हुणवन्तपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रतनसिंह धारीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुणवन्तपुरा के खाता सं0 50/49 के खसरा सं0 118 में दीगर हिस्सेदार के साथ 7.3860 है0 बारानी कृषि भूमि है जिसमें अकेले प्रतिवादी सं0 1 का 194–1/2 हिस्सा अर्थात् 2.4604 है0, इसी प्रकार खाता सं0 63/62 के खसरा सं0 132 की 5.0720 है0 जिसे तालवाला के नाम से जाना जाता है तथा इसी खाता के खसरा सं0 134 में 28.0870 है0 जिसे बडे खेत के नाम से जाना जाता है, दीगर हिस्सेदारान के साथ प्रतिवादी सं0 1 अकेले के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:39:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: